

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

(शुद्धि-पत्र)

संचिका सं०-5/अ०प्र०-01-01/2022 (Refile)- 4163 /पटना, दिनांक-03/05/22

सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के द्वारा अनुशासित अभ्यर्थियों का विभागीय अधिसूचना संख्या-537 सहपठित ज्ञापांक-538 दिनांक-24.01.2022 के द्वारा सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति की गयी है। टंकण भूल के कारण हुई त्रुटि को उक्त अधिसूचना संख्या के अग्रलिखित क्रम संख्या को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है:-

1. क्रम सं०-04 के स्तम्भ-2 एवं 6 में अंकित अभ्यर्थी का नाम-'श्री राजेश दूबे' एवं पिता का नाम-'श्री राजेन्द्र दूबे' के स्थान पर 'श्री राजेश दुबे' एवं पिता का नाम-'श्री राजेन्द्र दुबे' पढ़ा जाय।
2. क्रम सं०-13 के स्तम्भ-2 में अंकित अभ्यर्थी के नाम में 'विभूती आनन्द' के स्थान पर 'विभूति आनन्द' पढ़ा जाय।
3. क्रम सं०-38 के स्तम्भ-6 में अंकित पिता के नाम में 'असदुल्ला' के स्थान पर पिता का नाम-'असदुल्लाह' पढ़ा जाय।
4. क्रम सं०-49 के स्तम्भ-7 एवं 8 में अंकित स्थायी एवं पत्राचार का पता 'मकान सं०-245, ग्राम+पोस्ट-बारा, मोहल्ला-मझली पट्टी फेकु रोड, थाना-गहमर, जिला-गाजीपुर, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिनकोड-232325' पढ़ा जाय।
5. क्रम सं०-75 के स्तम्भ-7 एवं 8 में अंकित 'डाकघर-सुरतगंज' के स्थान पर 'डाकघर-मुरतगंज' पढ़ा जाय।
6. क्रम सं०-116 के स्तम्भ-7 एवं 8 में अंकित स्थायी एवं पत्राचार का पता में 'पूरी बाबू' के स्थान पर 'पूरे बाबू' पढ़ा जाय।
7. क्रम सं०-120 के स्तम्भ-7 में अंकित पत्राचार का पता-'सिबोक मिलिट्री स्टेशन, पो०-सालुगढ़ा, जिला-जलपाइगुड़ी, पश्चिम बंगाल, पिनकोड-734008' को स्थायी पता 'ग्राम+पो०-देवरिया, बनिया टोला, जिला-मुजफ्फरपुर, राज्य-बिहार, पिनकोड-843120' पढ़ा जाय।
8. क्रम सं०-131 के स्तम्भ-8 में अंकित पत्राचार का पता में 'भीखनपुर, गुमटी नं०-3, अब्दुल मुजीब गली, थाना-ईशहाकचक, जिला-भागलपुर, पिनकोड-812001' के स्थान पर 'अब्दुल मुजीब लेन, हटिया चौक, गुमटी नं०-03, भीखनपुर, जिला-भागलपुर, पिनकोड-812001' पढ़ा जाय।
9. क्रम सं०-193 के स्तम्भ-6 में अंकित पिता के नाम में 'आरिफ कमाल' के स्थान पर 'आरिफ जमाल' पढ़ा जाय।
10. क्रम सं०-202 के स्तम्भ-8 में अंकित पत्राचार का पता में 'ग्राम+डाकघर-बरीअट्टा' के स्थान पर 'ग्राम+डाकघर-बड़ी आँट' पढ़ा जाय।
11. क्रम सं०-211 के स्तम्भ-7 एवं 8 में अंकित 'थाना-कोहाट' के स्थान पर 'के० हाट (खजांची हाट)' पढ़ा जाय।
12. क्रम सं०-216 के स्तम्भ-3 में अंकित नाम 'श्रीमती प्रतिभा आनंद' के स्थान पर 'सुश्री प्रतिभा आनन्द' पढ़ा जाय।






13. क्रम सं०-223 के स्तम्भ-7 में अंकित पत्राचार का पता में मोहल्ला-मकदुम सराय के स्थान पर 'मखदुम सराय' पढ़ा जाय।
14. क्रम सं०-225 के स्तम्भ-3 में अंकित नाम 'श्रीमती प्रिया राजपुत' के स्थान पर 'सुश्री प्रिया राजपुत' पढ़ा जाय।
15. क्रम सं०-231 के स्तम्भ-8 में अंकित पत्राचार का पता में 'डाकघर-नूरसराय' के स्थान पर 'डाकघर-सोहसराय' पढ़ा जाय।
16. क्रम सं०-236 के स्तम्भ-6 में अंकित 'पिता का नाम-धर्मवरी कुमार' के स्थान पर 'पति का नाम-श्री धर्मवीर कुमार' पढ़ा जाय।
17. क्रम सं०-240 के स्तम्भ-7 में अंकित पत्राचार का पता में ग्राम+पोस्ट-'तधवानन्दुर' के स्थान पर ग्राम+पोस्ट-'तधवा नन्दपुर' पढ़ा जाय।
18. क्रम सं०-241 के स्तम्भ-6 में अंकित पिता का नाम-'श्री राम सागर यादव' के स्थान पर 'श्री प्रेम सागर यादव' पढ़ा जाय।

उक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
28/7/2022  
(संजय दूबे)


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/अ०प्र०-01-01/2022 (Refile)- 4163 /पटना, दिनांक-03/8/22  
प्रतिलिपि-महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वि०दा०नि०को०)  
विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
28/7/2022


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/अ०प्र०-01-01/2022 (Refile)- 4163 /पटना, दिनांक-03/8/22  
प्रतिलिपि- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता  
प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी  
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित सहायक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
28/7/2022

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/अ०प्र०-01-01/2022 (Refile)- 4163 /पटना, दिनांक-03/8/22  
प्रतिलिपि-आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
28/7/2022

सरकार के विशेष सचिव

